

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

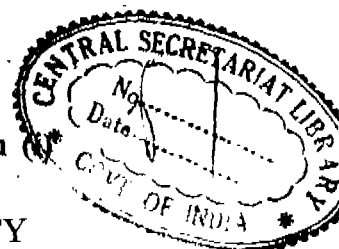
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 110] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 1979/चैत्र 16, 1901

No. 110] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 1979/CHAITRA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1979

सा. का. नि. 231 (अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए कीतपत्र नियमों का प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित रूप से भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1194, तारीख 19 सितम्बर, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1), तारीख 30 सितम्बर, 1978 के पृष्ठ 2244 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें तारीख 30 अक्टूबर, 1978 तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्ति या सुझाव मांगे गए थे जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

उक्त राजपत्र तारीख 30 सितम्बर, 1978 को जनता को उपलब्ध कर दिया गया था, केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आपत्तियाँ या सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करके, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

मिशन

1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में, इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में, प्रारूप 1 के पैरा (2) में "प्राप्ति शीर्ष-24 जन स्वास्थ्य" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्राप्ति शीर्ष-082-जन स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति की फीस और जर्माने, आदि"।

[सं. पी. 15011/34/76-पी. एच. (एफ. एण्ड एन.) (पी.एफ.ए.) मूद्रण]
टी. वी. एन्टोनी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 1979

G.S.R. 231(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published, as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (31 of 1954) at page 2244 of the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (i) dated the 30th September, 1978 under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 1194, dated the 19th September, 1978, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby by the 30th October, 1978,

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 30th September, 1978,

And whereas the objections or suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government,

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 in Appendix A to these rules in Form I, in para (2), for the words and figures "Receipt Head-xxiv—Public Health", the following words and figures shall be substituted, namely :—

"Receipt Head-082—Public Health, Sanitation and Water Supply—Fees and Fines etc."

[No. P 15011/34/76-PH(F&N)(PFA)Pt.]
T. V. ANTONY, Jt. Secy.

